<u>प्रारूप</u>

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, ...2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024

फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम///2023.- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 की उप-धारा 2 के खंड (ङ) और धारा 26 की उप-धारा 2 के खंड (ङ) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

<u>अध्याय I</u>

<u>प्रारंभिक</u>

1. **<u>उद्देश्यः</u>**

क) आईआरडीएआई पालिसीधारकों को सशक्त बनाने और उनके हितों का संरक्षण करने, भारत में बीमा के व्यापन को बढ़ाने और उसकी पहुँच में वृद्धि करने के उद्देश्यों से बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान कहलानेवाली एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना की स्थापना की अनुमति देने के लिए आईआरडीएआई (बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 जारी करता है। यह समूचे बीमा मूल्य-चक्र में पारदर्शिता, कार्यकुशलता, सहयोग, बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषण को बढ़ावा देने, बीमा को सर्वव्यापी और लोकतांत्रिक बनाने, तथा *"2047 तक सबके लिए बीमा"* की परिदृष्टि को साकार करने के लिए ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों और बीमा एजेंटो की तुलना में सभी बीमा हितधारकों के लिए एक समग्र सेवा समाधान (वन स्टाप सोल्यूशन) होगा। ये विनियम बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान की स्थापना, अभिशासन, कार्यचालन तथा उसके साथ संबद्ध और उसके लिए प्रासंगिक विषयों के लिए विनियामक ढाँचा विनिर्दिष्ट करते हैं।

ख) बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान के कार्यचालन को समर्थ बनाने के लिए इन विनियमों में स्थूल सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी उक्त बाजार स्थान के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों के अंतर्गत दिशानिर्देश और परिपत्र, जैसी स्थिति हो, जारी कर सकता है।

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**

क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 कहलाएँगे।

ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **परिभाषाएँ :**

1. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

ग) "उपभोक्ता" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बीमा पालिसी के संबंध में संभावित ग्राहक, पालिसीधारक, बीमाकृत व्यक्ति, नामित व्यक्ति, लाभार्थी, दावेदार; अभिप्रेत होगा चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए;

घ) "बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान" (इन विनियमों में इसके बाद "बाजार स्थान" के रूप में उल्लिखित) से प्राधिकरण द्वारा अनुमत रूप में अन्य बातों के साथ-साथ बीमा पालिसियों की खरीद, बिक्री, बीमा दावों के निपटान, शिकायत निवारण और बीमा पालिसियों की सर्विसिंग को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न सेवाओं के साथ निर्बाध एकीकरण को समर्थ बनाते हुए खुले मानकों और अंतर-परिचालनीय प्लेटफार्मों से युक्त एक सशक्त डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना या नयाचार (प्रोटोकाल) अभिप्रेत है;

ङ) "डेटा प्रदाता" से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी संस्था अभिप्रेत है जैसे यूआईडीएआई, डिजीलाकर, परिवहन, सीबीडीटी, सरकारी डेटाबेस अथवा ऐसी अन्य संस्था जो डेटा धारित करती है और उसे संस्थाओं और सरकारी प्राधिकारियों को उपलब्ध कराती है;

च) "बीमा हितधारक" से उपभोक्ता, बीमाकर्ता, मध्यवर्ती, बीमा मध्यवर्ती, बीमा एजेंट और आईआरडीएआई द्वारा अनुमत रूप में कोई अन्य सेवा प्रदाता अभिप्रेत हैं।

2. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 (1999 का 41) या उनके अधीन अधिसूचित नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान की स्थापना

4. बाजार स्थान की स्थापना और शेयरधारिताः

क) बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन बनाई गई एक कंपनी के माध्यम से स्थापित एक लाभरहित (नाट फ़र प्राफिट) संस्था होगी।

ख) उक्त कंपनी का मुख्य उद्देश्य बीमा हितधारकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाजार स्थान स्थापित करना, उसे मदद देना, उसे विकसित करना, उसका परिचालन करना और उक्त बाजार स्थान का अनुरक्षण करना है।

ग) उक्त कंपनी की शेयरधारिता जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीच व्यापक रूप से धारित की जाएगी जहाँ किसी एक एकल संस्था के पास नियंत्रण का हित नहीं होगा।

घ) शेयरधारक, जब भी आवश्यकता होगी तब कंपनी की पूँजीगत आवश्यकता में अंशदान करेंगे।

5. अभिशासनः

1. उक्त कंपनी -

क) अपने कार्यचालन के लिए भली भाँति प्रलेखीकृत नीतियों, प्रक्रियाओं और अभिशासन व्यवस्थाओं से युक्त होगी जिनमें परिचालनगत, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण शामिल होंगे; तथा

ख) अपने बोर्ड में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से नामित दो व्यक्तियों से युक्त होगी;

2. नियमित कार्यों के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा -

i) कि उक्त बाजार स्थान इन विनियमों के उद्देश्यों के अंदर कार्य करता है;

ii) उसके निर्णय बीमा हितधारकों के वास्तविक और विधिसम्मत हितों को प्रतिबिंबित करते हैं;

iii) अभिकल्पित प्रणालियाँ उच्च कोटि की सुरक्षा, परिचालनगत विश्वसनीयता, पर्याप्त और मापनीय क्षमता से युक्त होंगी; तथा

iv) बाह्य और आंतरिक विघटनों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय निरंतरता योजना लागू करेगी।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की एक जोखिम प्रबंध समिति गठित की जाएगी कि ऐसी परिचालनगत और जोखिम प्रबंध नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ

विद्यमान हों जो कंपनी को विभिन्न जोखिमों की पहचान करने, उनका मापन करने, उनकी निगरानी करने, उनका प्रबंध करने और उनका न्यूनीकरण करने के लिए समर्थ बनाएँगी तथा उनकी समीक्षा आवधिक तौर पर की जाएगी।

6. अध्यक्ष और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्त

क) कंपनी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवासमाप्ति और नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण के पूर्व- अनुमोदन की अपेक्षा करेगी।

ख) कंपनी बाजार स्थान के परिचालन और जोखिम प्रबंध के लिए उपयुक्त अनुभव, कौशलों के मिश्रण, तथा अपने दायित्वों का निर्वहण करने के लिए आवश्यक सत्यनिष्ठा से युक्त प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी तथा प्रबंधन की भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगी।

अध्याय III

कार्य, कर्तव्य और दायित्व

7. कार्यः

बाजार स्थान के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

क) बीमा हितधारकों की और जिस बाजार की वह सेवा कर रही है उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने में कुशल और प्रभावी संपूर्ण डिजिटल समाधान।

ख) अपनी सेवाओं के संबंध में सहमति आधारित संरचना को लागू करना।

ग) अपनी सेवाओं के लिए उचित और खुली भूमिका आधारित पहुँच की अनुमति देना।

घ) हर समय परिचालनरत और पहुँच-योग्य होना।

ङ) उपयुक्त सहमति की व्यवस्था के साथ डेटा प्रदाताओं को प्रवेश।

च) किसी भी डेटा का भंडारण, धारण या अनुरक्षण न करना।

छ) अपने दायित्वों का परिदान करना।

ज) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य कार्य।

8. कर्तव्य और दायित्वः

बीमाकर्ता एक निरंतर आधार पर बाजार स्थान में विक्रय के लिए अपने बीमा उत्पादों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करें तथा बीमा दावों के निपटान, शिकायत निवारण सहित बीमा पालिसी से संबंधित सभी सेवाएँ उपलब्ध कराएँ।

अध्याय IV

सुरक्षा और गोपनीयता

9. सुरक्षा, गोपनीयता और सहभागिताः

बाजार स्थान के अभिकल्प में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

क) उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, अद्यतन नवीनतम प्रौद्योगिकी और गोपनीयता के मानदंड जो वर्तमान और भावी सुरक्षा की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के द्वारा खुली और निष्पक्ष पहुँच, गोपनीयता को सुनिश्चित करेंगे।

ख) बाजार स्थान में सहभागिता अपेक्षाओं और सुरक्षा संबंधी नयाचारों (प्रोटोकाल्स) का अनुपालन करने के अधीन होगी।

अध्याय V

स्वयं धारणीय

10. राजस्व

क) कंपनी के बोर्ड के पास राजस्व माडल संबंधी एक नीति होगी जो स्वयं धारणीय हो।

ख) बाजार स्थान की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

अध्याय VI

विविध

11. सूचना माँगने, निरीक्षण करने और जाँच करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति

प्राधिकरण कंपनी की लेखा-बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और बुनियादी संरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण कर सकता है। जब भी ऐसे निरीक्षण किये जाते हैं तब कंपनी अपेक्षित रूप में सभी आवश्यक दस्तावेज और सूचना तथा पहुँच उपलब्ध कराएगी।

12. कुछ उल्लंघनों / भंगों के लिए दंड

प्राधिकरण इन विनियमों और बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के संगत उपबंधों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी परिपत्र/दिशानिर्देश/आदेश के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

13. परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने की शक्ति

सक्षम प्राधिकारी उक्त विनियमों के परिचालनगत पहलुओं के संबंध में यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश जारी कर सकता है।

14. सामान्य

कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति - इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश अथवा परिपत्र जारी कर सकता है।

अध्यक्ष